

भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)
प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी साठ वनमंडल सीहोर द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, सीहोर जिले के अंतर्गत नसरुल्लागंज - कोसमी मार्ग, उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु वनमंडल सीहोर के परिक्षेत्र लाड़कुई की 0.450 हेक्टेयर वनभूमि, संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को उपयोग पर देने के लिये, <u>व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।</u>

तिथि :- 03. 2. 2022

स्थान: भोपाल

नाम
सरकारी मोहर
(रवीन्द्र सक्सेना)
मुख्य वन संरक्षक
भोपाल वृत्त भोपाल

3-2-22
3/2/22

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 305
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08 फरवरी 2022

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

भू-प्रबंध

म0प्र0 भोपाल

विषय:- सीहोर जिले के अंतर्गत नसरुल्लागंज - कोसमी मार्ग, उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु वनमंडल सीहोर के परिक्षेत्र लाड़कुई की 0.450 हेक्टेयर वनभूमि, संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।

(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/144754/2021)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/2022/10-11/170 दिनांक 17/01/2022 एवं वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर का पत्र क्रमांक/माचि/215 दिनांक 25/01/2021

-----0-----

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर ने उनके संदर्भित पत्र द्वारा नसरुल्लागंज - कोसमी मार्ग, उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु वनमंडल सीहोर के परिक्षेत्र लाड़कुई के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 427 एवं 428 की कुल 0.450 हेक्टेयर वन भूमि, संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को उपयोग पर देने बावत्, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण 1.000 हेक्टेयर से कम का होने एवं व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण करना प्रस्तावित नहीं किया गया है।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, सहमति सहित आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्न:- यथावर्णित।

(राविन्द्र सक्सेना)

मुख्य वनसंरक्षक,

भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 306
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 08 फरवरी 2022

1. वनमंडलाधिकारी, सा0 वनमंडल सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में संलग्न मानचित्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रस्तावित मार्ग अन्य कक्षों से भी होकर गुजरता है। अतः इस संबंध में सुनिश्चित कर ले कि प्रस्तावित कक्षों के अतिरिक्त अन्य वनकक्षों में तो उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य नहीं किया जाना है। अन्यथा उक्त कक्षों का प्रभावित रकवा भी प्रस्ताव में शामिल होगा। क्योंकि, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध के पत्र क्र/एफ-11/8/10-11/ 497 दिनांक 14/2/11 से दिये गये निर्देश अनुसार **Linear** प्रस्तावों के संबंध में टुकड़ों में **processing** न करते हुए समग्र रूप से विचार कर एकजाई प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

2. संभागीय प्रबंधक मध्य प्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल